

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 सितम्बर 2021--भाद्र 29, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आंशिक संशोधन

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021

अधि.क्र.-18-एफ-1-67-2019-अठारह-3.- मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) क्रमांक 41 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 09 अक्टूबर 2020 आश्विन 17, शक 1942 भाग-2 में प्रकाशित नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 243-एफ-1-67-2019-अठारह-3, दिनांक 07 अक्टूबर 2020 के साथ सहपठित कार्यालय कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) जिला भिण्ड मध्यप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक डूडा-2020-524, भिण्ड, दिनांक 17 सितम्बर 2020 नवगठित नगर परिषद रौन के वार्डों के विस्तार की हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 158 की द्वितीय पंक्ति के प्रथम शब्द "प्रस्तावित" को विलोपित किया जाता है. यह संशोधन दिनांक 09 अक्टूबर 2020 से ही प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.